प्रेषक,

एन0 के0 जोशी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तरांचल, देहरादून।

संo /V-शoविo–06–71(शoविo)/01

शहरी विकास अनुभाग:

देहरादूनः दिनांक 11 अगस्त, 2006

विषय : ग्यारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर प्राप्त धनराशि की उपयोगिता अवधि बढाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संo 217/XXVII(1)/2005 दिनांक 24 फरवरी, 2005 के द्वारा विभिन्न स्थानीय निकायों हेतु ग्यारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर संकलित धनराशि के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि दिनांक 30 सितम्बर,2006 तक वर्तमान वित्तीय नियमावली के अन्तर्गत बढाये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त धनराशि के सम्बन्ध मे महालेखाकार उत्तरांचल, देहरादून से प्राधिकार पत्र प्राप्त कर लिया जाये।

3– उक्त शासनादेश की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

4– सदर्भित धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद हेतु धनराशि स्वीकृत की गई है।

5– दिनांक 30 सितम्बर,2006 के पश्चात् उपयोगिता अवधि में वृद्धि नहीं की जायेगी।

6– उपयोगिता अवधि मे वृद्धि इस शर्त के साथ की जा रही है कि यदि भारत सरकार कटौती करती है तो यह धनराशि सम्बन्धित नगर निकायों के डिवॉल्यूशन से काट ली जायेगी।

7– उक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 संo 820/XXVII(1)/2006 वित्त अनुभाग–1 दिनांक–05अगस्त, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एन0 के0 जोशी)
अपर सचिव।

संo1325/V-शoविo–06,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तरांचल, देहरादून।
2– निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, देहरादून।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल। (द्वारा– निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून)
4– समस्त अधिशासी अधिकारी, सम्बन्धित निकाय।(द्वारा– निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून)
5– वित्त अनुभाग–1, उत्तरांचल शासन।
6– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7– गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

10.8.06.

(एन0 के0 जोशी)
अपर सचिव।

Anu/272